!! श्री !!

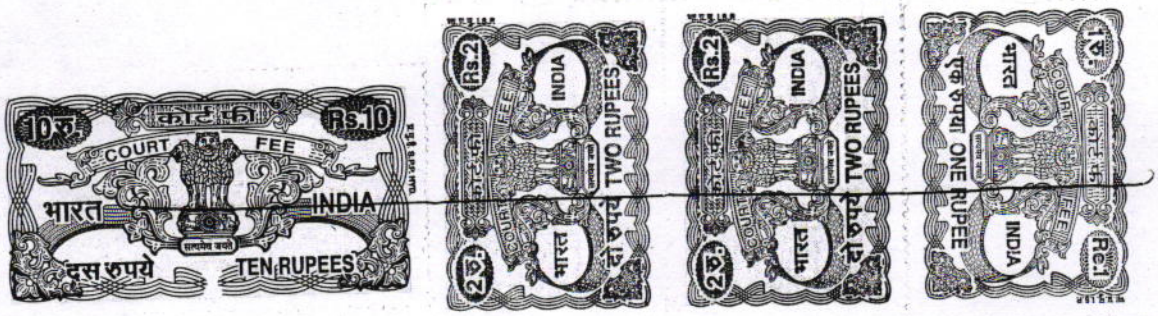

न्यायालय राजस्व मंडल, ग्वालियर, मध्यप्रदेश

प्रकरण क्र. / निगरानी 4050 II/14

1. विरेन्द्र कुमार पिता रघुवीर खण्डेलवाल
2. सत्येन्द्र कुमार पिता रघुवीरचंद्र

दोनों निवासीगण–56, मालवा कॉटन प्रेस, कंपाउंड आगर रोड, उज्जैन ......**आवेदकगण**

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, जिला उज्जैन
2. अतिरिक्त राजस्व आयुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन
3. अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन
4. अनुविभागीय अधिकारी महोदय, उज्जैन
5. तहसीलदार महोदय, तहसील उज्जैन
6. पटवारी हल्का नंबर कस्बा उज्जैन, जिला उज्जैन

...........**अनावेदकगण**

विषय :- धारा 11 व 12 अवमानना अधिनियम के अंतर्गत आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की और से निम्नलिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत है :-

01. यह कि, खसरा सर्वे नंबर 1729/1 रकबा 2.801 हेक्टर कस्बा उज्जैन पर स्थित है। यह भूमि आवेदकगण के पूर्वज फुसामल पिता जगन्नाथ व विशम्बर दयाल पिता भवानी सहाय, निवासीगण–उज्जैन के नाम पर दर्ज थी जो म.प्र.भू.रा.सं. लागू होने के पूर्व से लागू थी, इस भूमि के संबंध में अतिरिक्त कलेक्टर महोदय, जिला उज्जैन द्वारा धारा 182 (2) म.प्र.भू.रा.सं. के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए उक्त भूमि शासन के नाम दर्ज करने का आादेश दिनांक 15.04.1981 को प्रदान किया था, जिसकी पुष्टि अपर आयुक्त उज्जैन द्वारा दिनांक 27.04.1981 को की गई थी और इन दोनो आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक द्वितीय अपील प्रस्तुत की थी, जो अपील प्रकरण क्र. 113/तीन/81 पर दर्ज की जाकर प्रार्थीगण की द्वितीय अपील माननीय न्यायालय द्वारा 06.09.1983 को स्वीकार की गई और माननीय न्यायालय द्वारा निम्नानुसार आदेश प्रदान किया :-

''इस आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि, संहिता की धारा 181 उन लीज़ेज

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक विविध 4050–दो/2014 जिला उज्जैन

विरेन्द्र कुमार आदि विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्रो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–12–2015	आवेदक द्वारा यह विविध आवेदन धारा 11 व 12 अवमानना अधिनियम के अन्तर्गत इस न्यायालय के प्रकरण कमांक अपील प्रकरण कमांक 113–तीन/81 में पारित आदेश दिनांक 06–9–1983 की अवमानना के संबंध में प्रस्तुत की गई है। आवेदक एवं अनावेदक शासकीय पैनल अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ आवेदक अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में इस न्यायालय ने प्रकरण कमांक 113–तीन/81 में पारित आदेश दिनांक 06–9–1983 के पालन नहीं किया गया है। लगभग 30 वर्ष पश्चात किसी व्यक्ति की शिकायती आवेदन पर पुनः जांच करने की अधिकारिता अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। यह इस न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है। अतः अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण कमांक 9/वि0/12–13 में की जा रही कार्यवाही निरस्त कर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही संपादित करने का कष्ट करें। 3/ अनावेदक शासनकी पैनल अभिभाषक ने तर्क में बताया कि अवमानना प्रकरण में अधिकारियों को नाम से पक्षकार बनाकर कार्यवाही की जाती है, परन्तु आवेदकगण ने पदनाम से अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। आवेदकगण द्वारा अवमानना प्रकरण	

1983 के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में समयबाधित प्रस्तुत की गई है। यह भी तर्क दिया कि आवेदकगण की ओर से कन्टेम्प्ट का नोटिस भी नहीं दिया गया है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक ने अपने विविध आवेदन के पद कमांक 2 में स्वयं यह लेख किया है कि इस न्यायालय के आदेश दिनांक 06–9–1983 के पालन में अपर कलेक्टर जिला उज्जैन ने दिनांक 30–5–1986 को आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी के रूप दर्ज कर दिया था, जो आज दिनांक निरन्तर चला आ रहा है। अतः आवेदक अभिभाषक का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि इस न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया और वह अवमानना की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति की शिकायत पर यदि कोई न्यायालय किसी प्रकार की जांच उपरांत इस न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कोई निष्कर्ष निकाला है इसका कोई प्रमाण अथवा आधार आवेदकगण अभिभाषक बतलाने में असमर्थ रहे। अतः यह अवमानना प्रकरण आधारहीन होने से इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य